


उत्तराखण्ड शासन  
 लोक निर्माण अनुभाग-1  
 संख्या (५१) / ३३ (१) / १२-४६(अधि०)०९, टी०सी०  
 देहरादून दिनांक २३ जनवरी, २०१३

कार्यालय-आदेश

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अभियन्ताओं को उनके नाम के समुख अंकित कालम-४ में उल्लिखित स्थान पर एतद द्वारा कार्य हित में प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क०स०।	अभियन्ता का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान
१	२	३	४
१	श्री दिनेश कुमार,- प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	प्रतीरक्षारत	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडाउन -
२	श्री जीवन सिंह हंयाकी, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडाउन	प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट

- सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिरक्षारती की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पौड़ी एवं उत्तरकाशी को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
- सहायक अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

  
 (बॉ० एस०एस० सन्धु)  
 प्रमुख सचिव

संख्या (५१) / ३३ (१) / १२-४६ (अधि०)०९

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता स्तर-२, गढ़वाल/कुमाऊ एवं रामारा, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
महिमा  
 (महिमा)  
 अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या- ९२ / ।।।(1) / 13-46(अधिक) / ०९ टी०सी०  
देहरादून: दिनांक: १६ जनवरी, २०१३  
—कार्यालय ज्ञाप—

*लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-५७ / १३-४६(अधिक) / ०९ टी०सी०, दिनांक १०.०१.२०१३ के द्वारा किये गये तैनाती आदेश में आंशित संशोधन करते हुये निम्नलिखित अभियन्ताओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-४ में उल्लिखित स्थान पर एतद्वारा कार्यहित में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :—*

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/स्थानान्तरण का स्थान
1	2	3	4
1	श्री रमेश चन्द्र पाल, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर
2	श्री दीपक कुमार गुप्ता, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	विभागाध्यक्ष कार्यालय	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, पी०ए०जी०ए०वाई० खण्ड, कालसी
3	श्री आर०पी० सिंह, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	पी०ए०जी०ए०वाई० खण्ड, कालसी	विभागाध्यक्ष कार्यालय

- 2— उपरोक्त अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
- 3— प्रभारी व्यवस्था के अन्तर्गत तैनाती के फलस्वरूप संबंधित अभियन्ताओं को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस०ए०स० सन्धु)  
प्रमुख सचिव

संख्या- ९२ (१) / ।।।(१) / ४६(अधिक) / २०१२ टी०सी०, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमार्यू मण्डल, नैनीताल।
- 6— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7— प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8— मुख्य अभियन्ता स्तर-२, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।
- 9— मुख्य अभियन्ता, पी०ए०जी०ए०वाई०/य०आर०आर०डी०ए०, देहरादून।
- 10— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11— अधीक्षण अभियन्ता, वियो० वृत्त, देहरादून/हल्द्वानी।
- 12— गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
(धीरेन्द्र सिंह दत्ताल)  
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या २१०/ १११ (१)/ १२- ४६(अधि०)०९, टी०सी०  
देहरादून दिनांक ०१ प्रस्तरी, २०१३  
कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री आर० के० जैन, अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई, खण्ड नरेन्द्रनगर को अस्थाई खण्ड, थत्यूड, में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में अधिशासी अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
  3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
  4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी टिहरी गढ़वाल को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
  5. सहायक अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस०एस० सन्धा)

### • प्रमुख सचिव

संख्या २०११ (१) / १३-४६ (अधि०)०९

**प्रतिलिपि** – निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित :

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
  - प्रमुख सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
  - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
  - प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
  - मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गढवाल एवं पीठमठीजीपसठाई, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
  - सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
  - सम्बन्धित जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी।
  - सम्बन्धित अधिकारी।
  - गार्ड फाइल।

१ 9. गार्ड फाइल।  
२ ६० १५८ / ३३ प्रक. ला. / १३

२०८७, १५० २१४१३

आज्ञा से

三

(महिमा)

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-१  
संख्या ७०७ ।।। (१) / १२- ४६(आधि०)०९, टी०सी००  
देहरादून दिनांक ०। फरवरी, २०१३  
कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री एस० के० राय, अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी को  
पी०एम०जी०एस०वाई, खण्ड नरेन्द्रनगर में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में अधिशासी  
अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
  3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
  4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तरकाशी को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर ग्रथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।

(डॉ० एस०एस० सन्धु)  
प्रमुख सचिव

संख्या २०६ ।।। (१) / १३-४६ (अधि०)०९

**प्रतिलिपि** – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
  3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
  4. प्रमुख अभियन्ता, लोकनिर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
  5. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, गढवाल एवं पी०ए०जी०ए०वाई, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
  6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
  7. सम्बन्धित जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी।
  8. सम्बन्धित अधिकारी।
  9. गार्ड फाइल।

EAY 42/ ७० १५५ / ३३०८५ स. १/१३

2050, 850 2.2.13

आज्ञा से

三

1. श्रीमद्भागवत्, को-पि लोकप्रिय / देवी) Pm 554 दृष्टि. (महिमा)
  2. अद्यता अधिक, Pm 554 दृष्टि) / श्री वृन्दा, अ. देवी। अनु सचिव
  3. अद्यता वृन्दा, अ. देवी) Pm 554 दृष्टि. लोकप्रिय, अ. देवी) / न. ना।
  4. अद्यता वृन्दा, अ. देवी) ना।
  5. वृन्दा देवी

प्रमुख आधिकारिक एवं विभागाध्यक्षा  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-१

संख्या २०५ ।।। (१) / १२ - ४६(अधि०)०९, टी०सी०

देहरादून दिनांक ०।।। फरवरी, २०१३

कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री श्री कुवर सिंह असवाल, अधिकारी अभियन्ता, लो०नि०वि०, प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत को प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में अधिकारी अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

२. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
३. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
४. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी अल्मोड़ा को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।

(डॉ एस०एस० सन्धु)

प्रमुख सचिव

संख्या २०५ ।।। (१) / १३-४६ (अधि०)०९

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
२. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
३. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
४. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
५. मुख्य अभियन्ता स्तर-२, गढ़वाल / कुमाऊ एवं पी०एम०जी०एस०वाई, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
६. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
७. सम्बन्धित जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी।
८. सम्बन्धित अधिकारी।
९. गार्ड फाइल।

ए४

८०१५४ / ३३व्यक्ति०/१३

देहरादून, १५ अ०५१३

आज्ञा से,

११६८।।

- प्रतिलिपि:-
१. मू० अ० स्ट०-२-२ लो०नि०वि०, घो० (जलो०) / जलो०।।।
  २. अट्टी० अ० ६/१ वे छत, लो० नि०वि०, अन्नपानी० (जलो०) / जलो०।।।
  ३. अधि० अ० ५, अ० ८०८ लो०नि०वि० रातीके० / अन्नपानी०,
  ४. लम्पिट० अ० ५, अ० ८०८ लो०नि०वि० रातीके० / अन्नपानी०,
  ५. क० अ० १२

(महिमा)  
अनु सचिव

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

देहरादून

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या ७०६ ।।। (1) / 12- 46(अधिकारी)०९, टी०सी०  
देहरादून दिनांक ११ अक्टूबर, २०१३  
कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री हरीश पांगती, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, निर्माण खण्ड, पुरोला को प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत में तात्कालिक प्रभाव से एतदद्वारा कार्य हित में प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना-सुनिश्चित करें।
  3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
  4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तरकाशी को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्त की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
  5. सहायक अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस०एस० सन्धु)  
प्रमुख सचिव

संख्या १४६/ ।।। (१) / १३-१६ (अधिन)०९

**प्रतिलिपि** – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
  - प्रमुख सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
  - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
  - प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
  - मुख्य अभियन्ता स्तर-2, गढवाल / कुमाऊ एवं पीठमठीएसठवाई, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
  - सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
  - सम्बन्धित जिलाधिकारी / विरिष्ट कोषाधिकारी।
  - सम्बन्धित अधिकारी।
  - गार्ड फाइल।

~~148/3.3 cm~~ - 410/13

3067, Reg 2-2-13

आज्ञा से

1. श्रूति अ. काली. लोकगीत विषय, पौराणी / ज्ञानी।
2. श्रृंगार अभियंता, वो इस लोकगीत विषय, अनेक / ज्ञानी।
3. श्रृंगार अभियंता. प्रीति / ज्ञानी एवं उत्तम विषय. रामेश्वर / ज्ञानी।
4. श्रृंगार अभियंता, ज्ञानी।
5. श्रृंगार अभियंता, ज्ञानी।

(महिमा)  
अनु सचिव

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड  
देशराजन

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-१  
संख्या २०५/ ।।। (1) / १२- ४६(अधि०)०९, टी०सी०  
देहरादून दिनांक १५ अक्टूबर, २०१३

### कार्यालय-आदेश

तात्कालिक प्रभाव से श्री दीपक कुमार, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० को ए०डी०बी०, पी०ए०म०य००, कार्यालय, देहरादून में एतद्वारा कार्य हित में प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
4. सहायक अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस०एस० सन्दृ)  
प्रमुख सचिव

संख्या २०५/ ।।। (1) / १३-४६ (अधि०)०९

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-२, ए०डी०बी०, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

FAX पन्ने ।५२/ ३३०प्र०ला०/ ।।५

फौरन ।।।/ ।।।/ ।।।

आज्ञा से,

।।।/ ।।।/

(महिमा)

अनु सचिव

1. मुख्य कार्यालय, लो०-१, ल००७९०८६०/PM५१६/AD३.५१६/१०५८.
2. अधीक्षण कार्यालय, ल००७९०८६०, ल००७९०८६०.
3. अधीक्षण कार्यालय, ल००७९०८६०, ल००७९०८६०.
4. अधीक्षण कार्यालय,
5. अधीक्षण कार्यालय,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

।।।/ ।।।/ देहरादून

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-१

कार्यालय—आदेश

- २५) वर्तमान में श्री धर्मपाल सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, पौड़ी को निर्माण खण्ड, रानीखेत में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में सहायक अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

१। २. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

३. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

४. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आह्वाण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।

(डॉ० एस०एस० सन्धु)  
प्रमुख सचिव

संख्या 20 / 111 (1) / 13-46 (अधिकारी) 09 टी०सी०

**प्रतिलिपि** – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
  - प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
  - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
  - प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
  - मुख्य अभियन्ता स्तर-२ गढ़वाल/अल्मोड़, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
  - सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
  - सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
  - सम्बन्धित अधिकारी।
  - गार्ड फाइल।

आज्ञा से

MARCH.

(महिमा)

अनु संचिव

۱۷۳

Page 5

475

2

二三

三

• 50 •

1

5

25

卷之三

## के लिखाण

10

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या २०७ ।।। (1) / 12-46(अधि०)०९, टी०सी०  
देहरादून दिनांक ०। फरवरी, 2013

### कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री प्रभु लाल डोभाल, कार्यवाहक सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडाउन को प्रान्तीय खण्ड, उत्तराकाशी में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में कार्यवाहक सहायक अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।  
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।  
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।  
5. कार्यवाहक सहायक अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस०एस० सन्दू)

प्रमुख सचिव

संख्या २०७ ।।। (1) / 13-46 (अधि०)०९ टी०सी०

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता स्तर-२ गढ़वाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

कार्यालय

आज्ञा से,

प्र० १०८/३५ व्या०-सा०/१२ फ० ४/२/१३

५१५१

(महिमा)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ इस कार्यालय को प्रविधि बनानु सचिव

१. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल को लो० फ०-१६ द्वारा  
२. अधीक्षण अभियन्ता १२/६ को द्वारा लो० फ०-१६ द्वारा  
३. अधीक्षण अभियन्ता प्रान्तीय राज्य द्वारा लो० फ०-१६ द्वारा  
४. वरिष्ठ कोषाधिकारी ल० सर० द्वारा/उत्तराखण्ड  
५. अधिकारी डोभाल कार्यालय सदा छापी।  
६. २०१३ दिसंबर।

प्रशासनिक अधिकारी  
कार्यालय मुख्य अधीक्षण अभियन्ता द्वारा।  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड  
देहरादून

**उत्तराखण्ड शासन**  
**लोक निर्माण अनुभाग-१**  
**संख्या २०५३/ १११ (१) / १२- ४६(अधि०)०९, टी०सी०**  
**देहरादून दिनांक ०५ फरवरी, २०१३**

कार्यालय—आदेश

- वर्तमान में श्री योगेश्वर प्रसाद जोशी, कार्यवाहक सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, टिहरी को निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर में तात्कालिक प्रभाव से एतदद्वारा कार्य हित में कार्यवाहक सहायक अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनाति किया जाता है।

  2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
  3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
  4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी टिहरी गढ़वाल को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
  5. कार्यवाहक सहायक अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ एसोएसो सन्धु)  
प्रमुख सचिव

संख्या २० 111 (1) / 13-46 (अधिकारी) 09 टी०सी०

**प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
  - प्रमुख सचिव, मातृ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
  - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
  - प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
  - मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गढ़वाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
  - सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
  - सम्बन्धित जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी।
  - सम्बन्धित अधिकारी।
  - गार्ड फाइल।

874

आज्ञा से

ପୁଣ୍ଡକୁରୁ ୧୬୧ ଅନୁଷ୍ଠାନ-ସଂଖ୍ୟା ୧୨୫୪୧୨୧୩

३ (सहित)

- कामनाएँ हृतु चोखेत् । — अनु सचिव  
१) मुख्य कामयता गद्वाल को भले, रिहॉल-प्रौदी  
२) कामयता कामयता और बोटत हो, रिहॉल-प्रौदी  
३) कामयता कामयता प्राप्ति, रबड़ लो, रिहॉल-प्रौदी (नरेकनार)  
४) कोजाकामयता रिहॉल-प्रौदी (नरेकनार),  
५) जी योग व्यवहर इस्तु जाति कामयता दूर करें.  
६) गाढ़ कामयता,

कांचीना लोक तिक्तिक्तिक्ति, उत्तरायाधि  
लोक तिक्तिक्तिक्ति भाग, उत्तरायाधि  
दहरादल

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या १९९/११ (१)/१२-४६(अधि०)०९, टी०सी०  
देहरादून दिनांक ०। फरवरी, २०१३

प्रमुख अधिकारी  
हेतु क्रमिक दिनांक

### कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री वीरेन्द्र बड्ढवाल, कार्यवाहक सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी को निर्माण खण्ड, ए०डी०बी० पौड़ी में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में सहायक अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

२. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन-तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
३. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
४. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरकाशी को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।

(डॉ० एस०एस० सन्धु)  
प्रमुख सचिव

संख्या १९९/११ (१)/१३-४६ (अधि०)०९ टी०सी०

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
२. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
३. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
४. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माणविभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
५. मुख्य अभियन्ता रत्नर-२ गढवाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
६. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
७. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
८. सम्बन्धित अधिकारी।
९. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महिमा

(महिमा)

अनु सचिव

पृष्ठा ०८ से १६२/३५ क्र. - ०।/१२-४६) २।।३

प्रतिलिपि निम्न दो सुचनाएँ इनकार्यक्रम के द्वारा देवा देवा करना चाहिए।

- १) मुख्य अभियन्ता गढवाल देवा देवा, गढवाल।
- २) मुख्य अभियन्ता रत्नर-२ का (ए.डी.वी.) अड्डे।
- ३) मुख्य अभियन्ता रत्नर-२ का (ए.डी.वी.) देवा देवा, गढवाल।
- ४) मुख्य अभियन्ता गढवाल।
- ५) मोर्याकुड़ा का अद्वारा।
- ६) अन्दरूनी कार्यालय।
- ७) गार्ड फाइल।

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-१  
संख्या १९७ ।।। (१) / १२— ४६(अधिग)००९, टी०सी०  
देहरादून दिनांक ०१ फरवरी, २०१३

## कार्यालय—आदेश

वर्तमान में श्री लाखी राम जूगड़ी, सहायक अभियन्ता, ए०डी०बी० खण्ड, उत्तरकाशी को ए०डी०बी० खण्ड, उत्तरकाशी के साथ-साथ प्रान्तीय खण्ड भटवाड़ी का अतिरिक्त प्रभार एतद्वारा कार्य हित में तात्कालिक प्रभाव से प्रदान किया जाता है।

उपरोक्तानुसार प्रदान किये गये अतिरिक्त प्रभार हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस०एस० सन्धु)  
प्रमुख सचिव

संख्या 198 | 111 (1) / 13-46 (अधिकारी) 09 टी०सी०

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
  3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
  4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
  5. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गढ़वाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
  6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
  7. सम्बन्धित जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी।
  8. सम्बन्धित अधिकारी।
  9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

۴۱۶

(महिमा)

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ରିକା

लोक निर्माण विषया उच्च

देहस्यद्वन्

~~प्रत्यक्षान्~~ दे 163/35 देहरादून  
१२ फै २।१३

~~प्राते सिंहि निवन के द्वचार्य से छात्रवृक्ष का प्रदान हुए प्रेषण।~~

- (1) शुरुआती प्राप्ति का लो. निवन. प्राप्ति,
- (2) अध्यात्म अभियान बालक / प. डी. ए. इंस्ट्रुमेंट. निवन. अखण्डनी / १८६५
- (3) अधिकारी प्राप्ति का लो. डी. वी. राज्य अखण्डनी / प्रा. (१). ~~अखण्डनी~~ / १८७५
- (4) कोलाग्नीकरणी अखण्डनी / ५८७५
- (5) श्री रामानन्दी राम जगद्विसदा. अखण्डनी
- (6) ~~प्राप्ति~~ प्राप्ति

प्रशासनिक अधिकारी  
कार्यालय गुरुग्राम अभियान समूह  
लोक निर्गति विधान, उत्तर प्रदेश



उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-१

कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री अरुण मित्तल, सहायक अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, ऋषिकेश को निर्माण खण्ड, लड़की में तात्कालिक प्रभाव से एतदद्वारा कार्य हित में सहायक अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।

(डॉ० एस०एस० सन्धु)  
प्रमुख सचिव

संख्या २०।।। (१) / १३-४६ (अधि०)०९ टी०सी०

**प्रतिलिपि** – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
  - प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
  - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
  - प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
  - मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गढ़वाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
  - सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
  - सम्बन्धित जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी।
  - सम्बन्धित अधिकारी।
  - गार्ड फाइल।

आङ्गारा से

四百三

(महिमा)

अनु संचिव

~~165~~ | 35 ~~12~~ | 12 164 | 2 | 23

प्रतिलिपि ~~अन्यथा~~ संस्कृत को शुकार्तु से अन्यथा करना ही हेतु प्रतिलिपि:-

- (1) मुख्य अन्यथा (ग). क्र. स्व. नि. वि. विदि.
- (2) अधिकार अन्यथा १ काट / हटकार हेतु ले. ग. क्र. देवदार / हटकार
- (3) अधिकारी अन्यथा ३५.८०.१ मि. (३) नि. वि. विदि = एवं विवेच / रुक्षि.
- (4) कोष/किंवा देवदार / हटकार.
- (5) श्री अरुण उमार निस्तल लडा. आदि.
- (6) गाहु वस्त्रावली.

कार्तिकलन विभाग के द्वारा दिया गया अनुमति  
लोक शिवाय, निम्नलोक, उत्तरायण्ड



उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-१  
संख्या २०५/ ।।। (१) / १२ - ४६(अधि०)०९, टी०सी०  
देहरादून दिनांक ८। फरवरी, २०१३

कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री छत्रपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, थत्यूड़ को निर्माण खण्ड, पुरोला में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में अधिशासी अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी टिहरी गढ़वाल को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
5. सहायक अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस०एस० सन्धु)

•प्रमुख सचिव

संख्या २०५/ ।।। (१) / १३-४६ (अधि०)०९

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-२, गढ़वाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

२०५/ १३ २.२.१३

आज्ञा से,

२०५/ १३

(महिमा)

अनु सचिव

प्रतिलिपि :-

1. श्र. अ. स्टू. प्रे. लोकनिर्माण, फृ०
2. अ. अ. अ. ८१८ वं. \* श्र. अ. अ. अ. अ. ८१८.
3. अ. अ. ८१८, निपू. (श. अ. अ. अ. अ. ८१८).
4. अ. अ. अ. ८१८.
5. अ. अ. ८१८.

प्रमुख अधिकारी द्वारा दिभागान्वय  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड,  
देहरादून